न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व दावा संख्या :– 2021/80

1. विपुल बिश्नोई पुत्र श्री स्व. जयदेव जाति बिश्नोई निवासी 32 केवाईडी–बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1 रामफल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.।
2 उप–पंजीयक खाजूवाला।
3 तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

....

प्रतिवादीगण

राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट
व 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

दावे का ब्यौरा इस प्रकार से है की विवादित कृषि भूमि चक 32 केवाईडी–बी के मुरब्बा नंबर 200/45 की 25 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 लोगों के बहकावे में आकर इस भूमि का बेचान करना चाहते है। वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या एक को भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदी गई थी, इसलिए इस भूमि में वादी का हक भी निहित है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया। दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए बैयनामा हासिल की गई है। वादी ऐसा कोई दस्तावेज सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि को खरीदने में पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल किया गया हो। इसलिए वादी का दावा सस्टेनेबल नहीं है।

धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दावा इस स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested